

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय:- प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किये जाने के संबंध में।

पटना, दिनांक 22/9/2026

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 15520 दिनांक 05.12.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विभिन्न जिलों के विभिन्न प्रखंडों में रिक्त प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर उसी जिले के किसी अन्य नजदीकी प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को कार्यकारी प्रभार जिला स्तर से प्रदान करने हेतु विभागीय निदेश परिचारित है।

किन्तु यह संज्ञान में आया है कि कुछ जिलों में विभागीय निदेश से इतर अन्य पदाधिकारी को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यकारी प्रभार सौंपा गया है, जो कि विभागीय निदेश के प्रतिकूल है।

अतएव अनुरोध है कि विभागीय पत्रांक 15520 दिनांक 05.12.2023 द्वारा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के रिक्त पदों का कार्यकारी प्रभार उसी जिले के किसी अन्य नजदीकी प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को प्रदान किये जाने संबंधी विभागीय निदेश का सख्ती से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)

सचिव

ज्ञापक:-1प०/स्था०-04-22/2018/...../पं०रा० पटना, दिनांक 22/9/2026

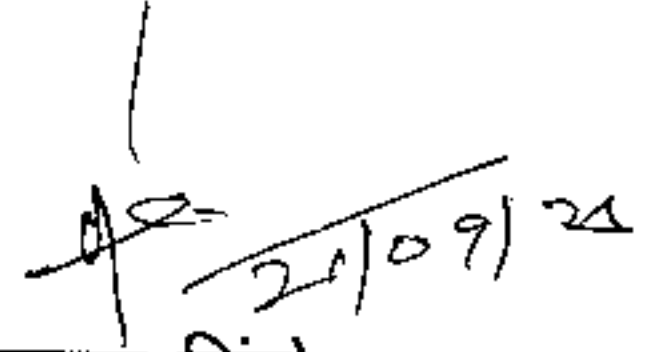
प्रतिलिपि:-सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)

सचिव

ज्ञापांक:-1प०/स्था०-04-22/2018/13457/प०रा० पटना, दिनांक 22/9/2026

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर सचिव/आई०टी० मैनेजर,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नवीन कुमार सिंह)
निदेशक

पत्रांक-1प/स्था-04-22/2018/15520/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह, मा०प्र०से०

अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-05/12/2023

विषय: e-Panchayat Bihar पोर्टल के सफल संचालन हेतु रिक्त प्रखण्डों का प्रभार उसी जिले में पदस्थापित प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारियों को प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय पत्रांक 15003 दिनांक-14.11.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से e-Panchayat Bihar पोर्टल अंतर्गत सभी पंचायत समितियों के लिए DSC रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश संसूचित है।

षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की राशि शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है। सम्प्रति सभी वित्तीय लेन-देन e-Panchayat Bihar पोर्टल के माध्यम किया जाना है अतएव सभी पंचायत समितियों का DSC रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। उक्त से संबंधित दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-

1. प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी संबंधित पंचायत समिति के e-Panchayat Bihar पोर्टल पर Checker एवं संबंधित पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी Approver के रूप में कार्य करेंगे।

2. उक्त कार्य के निष्पादन हेतु एक ही पदाधिकारी को Checker एवं Approver के रूप में नामित नहीं किया जायेगा।

वर्तमान में सभी प्रखण्डों में प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी पदस्थापित नहीं हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय पत्रांक 07 दिनांक 03.01.2022 के आलोक में संबंधित जिला पदाधिकारी अपने स्तर से रिक्त प्रखण्डों का अतिरिक्त प्रभार उसी जिले में पदस्थापित अन्य प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारियों को प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुरोध है कि e-Panchayat Bihar पोर्टल के अंतर्गत सभी पंचायत समितियों के लिए DSC रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय। DSC रजिस्ट्रेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न होने पर जिला अंतर्गत कार्यरत DIO तथा NIC, पटना के प्रोग्रामर श्री शक्ति शरण (मो० 9430804884) से सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासमाजन ,

मिहिर कुमार सिंह
(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संज्ञांक-1